अध्यक्ष, पंचम राज्य वित्त आयोग, झारखण्ड की अध्यक्षता में नेपाल हाउस स्थित जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के Conference Hall (कमरा संख्या–108) में पंचम राज्य वित्त आयोग, झारखण्ड के सहयोग तथा विभागो के सतत समन्वय हेतु विभागीय नोडल पदाधिकारियों के साथ समीक्षा हेतु दिनांक 30.12.2024 (मंगलवार) को पूर्वाहन् 11.30 बजे संपन्न बैठक की कार्यवाहीः–

उपस्थितिः–

1. श्री अरूण कुमार सिंह, अपर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग,झारखण्ड, रॉची।
2. श्री लखीराम बास्के, उप सचिव, योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, रॉची।
3. श्री लेयाकत अंसारी, सहायक निदेशक, पंचायती राज निदेशालय, झारखण्ड, रांची।
4. श्री राजीव कुमार, अवर सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, रांची।
5. श्री राजीव कुमार चौधरी, अवर सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, रांची।
6. श्री मनौवर आलम, अवर सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, रांची।
7. श्री राजेश कुमार साह, संयुक्त सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, रांची।
8. मो0 मुस्तकीम अंसारी, संयुक्त सचिव, उर्जा विभाग, झारखण्ड, रांची।
9. श्री राजेश प्रजापति संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग,झारखण्ड, रांची।
10. श्री विजय कुमार भगत, जल संसाधन विभाग,झारखण्ड, रांची।
11. श्री संघर्षी राज किशोर यादव, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि0, राँची।
12. श्री संजय कुमार, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड रांची।
13. श्री श्रवण कुमार प्रजापति, वाणिज्यकर विभाग, झारखण्ड, रांची।
14. श्री चन्द्रशेखर प्रसाद, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड रांची।
15. श्री शैलेन्द्र कुमार, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, रांची।
16. श्री संतोष कुमार, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, रांची।
17. श्री अतुल कुमार, अवर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, रांची।
18. श्री नीरज कुमारी संयुक्त सचिव, अन0जाति, अनु0जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।
19. श्री राजेश रंजन, संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, रांची।
20. श्री राघवेन्द्र झा, उप सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची।
21. श्री संतोष कुमार चौबे, उघोग विभाग, झारखण्ड, रांची।

1. सर्वप्रथम संविधान के 73वें संशोधन में दिए गये प्रश्नों में से **ग्रामीण विकास विभाग** के अपर सचिव श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि उनके विभाग से 02 कार्य पंचायत को Delegate किया गया है।

   (i) मनरेगा

   (ii) आवास योजना

(क) मनरेगा अंतर्गत पंचायतों को रूपये 05 लाख तक के कार्य कराने का अधिकार दिया गया है। मनरेगा के तहत राज्य में कराये जाने वाले सभी कार्य चूंकि रूपये 05 लाख से कम के है प्रायः इस कारण मनरेगा अंतर्गत सभी कार्य पंचायतों के द्वारा ही कराये जा रहे है।

(ख) आवास योजना के अंतर्गत PM आवास योजना एवं अबुआ आवास योजना के लाभुको के चयन का कार्य पंचायतो के द्वारा किया जा रहा है।

(ग) मनरेगा भुगतान के विषय पर उनके द्वारा बताया गया कि मनरेगा में Material भुगतान में विलम्ब होता है यह राशि के ससमय उपलब्ध नहीं होने के कारण होता है।

(i)मजदूरी के भुगतान पर उनके द्वारा बताया गया कि मजदूरी का भुगतान लाभुको के खाते में ससमय हस्तांतरित कर दिया जाता है।

(घ) उक्त तथ्य क्षेत्र की सत्यता पर आधारित प्रतीत नहीं होता है। विभाग को खूँटी/सिमडेगा/लातेहार/दुमका में इन बिन्दुओं का सत्यापन करना चाहिए। आयोग के क्षेत्र भ्रमण एवं विमर्श में उक्त की पुष्टि नहीं हाती है।

(ङ) आयोग ने विभाग का ध्यान Material पर GST /VAT/IT तथा Mines Royalty TDS पर भी ध्यान आकृष्ट किया। क्या गुमला जिले में हुई जांच तथा गड़बड़ी का सत्यापन अन्य जिला में किया गया है ?

(च) कंडिका 'ङ' TAX से संबंधित है, प्रशासी विभाग विशेष ध्यान दे तथा अन्तर्विभागीय समन्नवय भी करे।

2. **महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग** से भी प्रतिवेदन की मांग की गई जिसके आलोक में एक सप्ताह के अंदर प्रतिवेदन उपलब्ध करा दिये जाने संबंधी सूचना दी गई।
3. **पंचायती राज विभाग** के श्री लेयाकत अली द्वारा सूचित किया कि श्री शिशिर कुमार को नोडल पदाधिकारी आज नामित किया जा रहा है। Memorandum 1 सप्ताह के अंदर समर्पित करने का प्रयास किया जा रहा है।

4. **नगर विकास एवं आवास विभाग** के प्रतिनिधि श्री अतुल कुमार के द्वारा बताया गया कि Memorandum तैयार करने का कार्य त्वरित गति से किया जा रहा है एवं आज की बैठक में इनके द्वारा आंशिक प्रतिवेदन समर्पित किया गया। पूर्ण प्रतिवेदन सोमवार 06.01.2025 तक जमा करने का आश्वासन दिया गया। उनके द्वारा बताया गया कि ULB's के चुनाव नहीं होने के कारण 15वें वित्त आयोग का 700 करोड़ रूपये राज्य को नहीं मिल पा रहा है। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हो चुका है तथा अप्रैल माह तक इस चुनाव को सम्पन्न कराने की मंशा है। प्रशासी विभाग आवश्यक कार्रवाई करना चाहेंगे।
5. **राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग** के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि नोडल पदाधिकारी प्रशिक्षण हेतु मसूरी गए हुए है। उनके आते ही सभी बिन्दुओं पर प्रतिवेदन यथाशीघ्र उपलब्ध करा दिया जाएगा। एक बैठक दिनांक–16.01.2024 को प्रशासी विभाग के साथ सायं 03:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में आहूत की जा रही है। इसके पूर्ववर्ती पत्रों तथा पत्रांक–256 दिनांक–20.12.2024 के क्रम में याचित सूचनाओं पर विमर्श किया जायेगा जिसमें RMC के CEO तथा UD&HD तथा DoPR के प्रतिनिधि भाग लेंगे।
6. **अनु0जाति, अनु0जनजाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग** के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि विभाग द्वारा Power Delegate नहीं किया गया है। Right to Service Act से भी संबंधित मामला विभाग में नहीं है। इस पर प्रशासी विभाग पुनः संतुष्ट होना चाहेंगे। यह Casual approach प्रतीत हो रहा है। इस कार्यालय द्वारा पत्रांक–60 दिनांक–13.05.2024 तथा अन्य पत्रों से विभिन्न विषय पर उत्तर मांगा गया है। 29 विषय में यह विभाग शामिल है। छत्तीसगढ़ से अध्ययन कर इसपर विचार करना चाहिए।
7. **उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग** के प्रतिनिधि द्वारा सभी बिन्दुओं पर शीघ्र ही प्रतिवेदन समर्पित करने की सहमति दी गयी।
8. **वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग** के प्रतिनिधि के द्वारा बताया गया कि वन निगम कार्य कर रहा है, शहरी वानिकी एवं ग्रामीण क्षेत्र में वाणिकी कार्य हेतु power

Delegate करने पर विचार किया जा रहा है। वनोपोज पर भी स्थिति स्पष्ट करना है। यह संतोषजनक प्रतीत नहीं होता है।

(i) याचित सूचना विभाग तथा PCCF कार्यालय के स्तर पर ही संकलित की जा सकती है। प्रशासी विभाग से संबंधित बिन्दु – Delegation of Power to PRI में Social Forestry and Farm Forestry The Minor forest Yiedes Water Management and water shed development and MI है। प्रशासी विभाग की योजनाएं है जो इससे संबंधित है।

(ii) 6(Six) Water Management rule 2016 के अनुपालन की स्थिति है।

(iii) FRA 2006 का Implementation है।

9. **खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग** के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि पंचायत में राशन कार्ड बनाने का कार्य पंचायत समिति द्वारा किया जा रहा है।
10. **कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग** के प्रतिनिधि द्वारा आंशिक power Delegate की प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। पूर्ण याचित प्रतिवेदन तथा Right to service Act का ब्यौरा भी दे।
11. कतिपय विभागो को सभी 29 तथा 18 विषय जो क्रमशः PRI/ULB के है, उसका ज्ञान नहीं है। इस क्रम में उसकी सूची संलग्न की जा रही है।
12. आयोग द्वारा भेजे गये पत्रों की प्रतियां भी विधिवत नामित नोडल पदाधिकारी को संबंधित विभाग उनके E-mail/Whatsapp पर उपलब्ध करा दे। आयोग भी यह कार्य कर Nodal पदाधिकारी को वास्तविकता से अवगत कराये। नोडल पदाधिकारी को प्रायः पूर्ण विषय पर बोध नहीं है।
13. **पंचायती राज विभाग तथा नगर विकास एवं आवास विभाग** भी Delegation of Power को Compile कर दें। सभी 29 एवं 18 विषय को क्रमशः आच्छादित करता है।
14. **खान एवं भूतत्व विभाग** के नोडल पदाधिकारी अपने पत्रांक–1381 दिनांक–26.12.2024 द्वारा सूचित किया है कि अवकाश में रहने के कारण बैठक में भाग नहीं ले रहे है। यह एक अच्छी पहल है। सभी से अनुरोध है कि ऐसी स्थिति में उक्त Practice को Adopt किया जाय।
15. **सदस्य, राज्य वित्त आयोग** के द्वारा सभी विभागों से 73rd Amendment (Schedule 11) के तहत Delegation of Powers (शक्तियों का प्रत्यायोजन) संबंधित अधिसूचना की प्रति तथा उसके अनुपालन की स्थिति/74th Amendment (Schedule 12) के तहत

Delegation of Powers (शक्तियों का 2 प्रत्यायोजन) संबंधित अधिसूचना की प्रति तथा उसके अनुपालन की स्थिति/ Right to Service Act के तहत चिन्हित विभाग से संबंधित सेवायें, उसका ब्यौरा, अधिसूचना/आदेश तथा Act/Rule का relevant अंश तथा अनुपालन की स्थिति से संबंधित प्रतिवेदन यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। इसपर उपस्थित सभी विभागों के प्रतिनिधियों के द्वारा 1 (एक) सप्ताह के अंदर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया। आयोग के पदाधिकारी नोडल पदाधिकारी से मोबाईल पर समन्नवय करें। 10.01.2025 तक प्राप्त करने हेतु Objection को स्मारित करे। Designate Mobile पर Email / Whatsapp /phone से स्मारित करे।

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गयी।

30/12/2024

(हरीशवर दयाल)
सदस्य
पंचम राज्य वित्त आयोग।

30/12/2024

(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)
अध्यक्ष
पंचम राज्य वित्त आयोग।

ज्ञापांक – वित्त (SFC)–31/01/24 –287/ वि0आ0 राँची, दिनांक 03/01/2025

प्रतिलिपिः– सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. सचिव (वित्त), झारखण्ड, राँची के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

कौशल
03-01-2025

उप सचिव
राज्य वित्त आयोग
झारखण्ड, राँची